

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर टी.आई./69/2018

तारीख रजु 27.07.2018

उनवान

मानसिंह पुत्र गिराज जाति गुर्जर, वगैरह निवासी पनबेडा तहसील हिण्डोन जिला करौली।
—सायल(02)

बनाम

सोहनलाल उर्फ गब्बरसिंह पुत्र परमाती जाति गुर्जर वगैरह निवासी पनबेडा तहसील हिण्डोन जिला करौली।
—गैरसायल(03)

उपस्थिति:-

सायलान की ओर से :- श्री मुरारि लाल करसौलिया एडवोकेट
गैरसायलान की ओर से :- कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय

दिनांक 23.01.2020

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि सायलान की ओर से वकालतन एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा मय मूल दावा स्थाई निषेधाज्ञा आराजीयात ग्राम पनबेडा तहसील हिण्डोन के खसरा न. 729, 560, 518, 556, 557, 696, के सम्बंध में पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिए नोटिस तलब किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बार-बार आवाज दिलाई गई। उभयपक्ष उपस्थित नहीं आए, जिससे जाहिर होता है कि उभय पक्ष उक्त प्रार्थना पत्र में कोई रुचि नहीं ले रहा है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र मुकदमा नंबर 69/2018 मानसिंह बनाम सोहनलाल अदम पैरवी, अदम हाजिरी एवं अदम तकमील में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 23.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


23.01.2020
(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

